

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द

(न्याय निर्णयन अधिकारी : श्री नरेश बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 02/2026 (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम/नियम)
GCMS NO :- 2026/18
दायर दिनांक :- 10.02.2026
निर्णय दिनांक :- 18.02.2026

अनवान

1. राज्य सरकार जरिये श्री प्रेम चंद शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमन्द (राज.)

– प्रार्थी

बनाम


1. तरुण सोनी पुत्र श्री बसन्ती लाल, उम्र 48, जाति जैन, भीखू फूड प्रोडेक्ट, 1, पार्श्वनाथ प्लाजा, सावित्री फूले स्कूल के पास, लाल बाग, नाथद्वारा।

– विपक्षी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम एवं विनियम 2011

–: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 13.03.2024 व 16.03.2024 के अनुसरण में प्रेम चंद शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी जो वाद में राज्य सरकार है। विपक्षी पर सबस्टैण्डर्ड खाद्य सामग्री निर्माण एवं विक्रय हेतु परिवाद दायर कर अवगत कराया है श्री तरुण सोनी पुत्र श्री बसन्ती लाल, उम्र 48, जाति जैन (विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स भीखू फूड प्रोडेक्ट, 1, पार्श्वनाथ प्लाजा, सावित्री फूले स्कूल के पास, लाल बाग, नाथद्वारा पर दिनांक 28.04.2025 को 02.00 पी.एम. वास्ते चेकिंग पहुंचे। उक्त निरीक्षण के समय 200-200 मिलीलीटर के मैंगो ड्रिंक के टेद्रा पैकस दुकान में आम जनता के लिये विक्रय हेतु रखे हुए थे। एफ.एस.एस.ए. 2006 के तहत देखने पर मानक स्तर का नही होने का शक होने पर खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक के 20 टेद्रा पैकस खरीदे। जिसकी कीमत विक्रेता को रु. 400/- (चार सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता, उपस्थित गवाह एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये गये। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व नियम, 2011 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक के नमूने लिये गये, जिसकी सूचना विपक्षी को फार्म नम्बर 5 ए पर दी। प्रार्थी ने अपने आवेदन में उल्लेख किया कि खरीदशुदा खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक के 04 नमूना भाग तैयार किये चारों नमूना भागों हेतु 04 लेबल तैयार किये जिन पर विवरण आदि अंकित किया। चिपकाये गये नमूना भागों पर



विपक्षी, गवाहों के हस्ताक्षर करवायें। सील कर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) जिला राजसमन्द द्वारा जारी की गई पेपर स्लीप नम्बर **AI-2373** नियमानुसार चारो नमूना सील्ड पर अंकित कर नमूने की सील्ड भागो को कब्जे में लिया।

एक सील बंद नमूना मय फार्म न. 06 की प्रति के खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला उदयपुर को वास्ते जांच भेजा साथ में फार्म न. 06 की दो प्रति जिस पर नमूना सील अंकित थी, एक लिफाफे में सील बंद कर खाद्य विश्लेषक को भेजी। नमूने के शेष दो सील बंद भागो को मय फार्म न. 6 की प्रतियों के सील बंदकर अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) राजसमन्द को जमा कराई तथा नमूने के चौथे भाग को भी फार्म न. 6 की प्रति के साथ आउटर कवर में सील बंद कर अभिहित अधिकारी, राजसमन्द को जमा कराया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजसमंद ने पत्र क्रमांक: एफएसएसए/2025/2353 दिनांक 26.05.2025 के साथ खाद्य विश्लेषक उदयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस.300/एक्ट 2025/300 दिनांक 08.05.2025 सलग्न कर विक्रेता व मुझे दी गई जिससे ज्ञात हुआ कि **AI 2373** खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक का नमूना **सबस्टैण्डर्ड (Substandard)** होना पाया गया जिसके आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूने की मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी को अभियोजन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजसमन्द ने अभियोजन स्वीकृति जारी कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण को संबंधित न्याय निर्णयन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

कार्मिक (क-4) विभाग, राज. सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 जयपुर दिनांक 05.04.2012 द्वारा राज्य के सभी जिलो में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जिनके पास सिविल न्यायालय के अधिकार हैं, को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधिनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्यायनिर्णयन अधिकारी नियुक्त किया गया है।

उक्त अधिसूचना के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को सूचना पत्र जारी किया जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। विपक्षी द्वारा अपनी बहस में अवगत कराया कि उसके द्वारा उक्त **खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक** में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की जाती है तथा भविष्य में ऐसी गलती नहीं दोहराई जावेगी।


पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं विपक्षी की बहस का अवलोकन किया गया। प्रकरण में चूंकि विपक्षी का **खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक सबस्टैण्डर्ड** होना पाया गया। अतः अभियुक्त ने **सबस्टैण्डर्ड** (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zx) **खाद्य पदार्थ मैंगो ड्रिंक** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26



की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः अपराध कारित होने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विपक्षी श्री तरुण सोनी पुत्र श्री बसन्ती लाल, उम्र 48, जाति जैन (विक्रेता एवं फर्म मालिक) मैसर्स भीखू फूड प्रोडक्ट, 1, पार्श्वनाथ प्लाजा, सावित्री फूले स्कूल के पास, लाल बाग, नाथद्वारा पर 10,000/- रूपये (दस हजार रूपये) की शास्ति अधिरोपित कि जाती है एवं आदेशित किया जाता है कि भविष्य में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (II) के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करे, विपक्षीगण को पाबन्द किया जाता है कि उक्त जुर्माना राशि "चालान द्वारा आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण के राजस्व मद में फ़ैसल दिनांक से एक माह की अवधि में आवश्यक रूप से जमा करा पावती प्राप्त करें। नियत अवधि में शास्ति राशि जमा न कराने की स्थिति में, अधिनियम की धारा 96 के प्रावधानों के अनुसार इसे भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल किया जाएगा एवं जुर्माना जमा होने तक विपक्षी का लाइसेंस निलंबित माना जाएगा।

निर्णय आज दिनांक 18.02.2026 को खुले न्यायालय सुनाया जाकर, टकिंत कर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय की प्रति संबंधित को नियमानुसार पालनार्थ प्रेषित है।


(नरेश बुनकर) 18/02/2026

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
राजसमन्द